



पत्रांक सं०: रा0इ0का0/छ0प्र0/छा0सू0/2022-23/32

दिनांक: 05/12/2022


:- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना :-

संस्थान में अध्ययनरत् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नव प्रवेशित बी0टेक प्रथम व द्वितीय, (लेटरल इन्ट्री) छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन को ऑन लाइन के माध्यम से फार्म भरने से पहले निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये छात्र-छात्रायें अपना-अपना छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि के अनुसार भरना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं विलम्ब कि दशा में छात्र-छात्राए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

1. सत्र 2022-23 में नव प्रवेशित पात्र छात्र-छात्रायें नवीन श्रेणी (Fress) में आवेदन करेंगे।
2. समस्त नव प्रवेशित छात्रों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी छात्र-छात्रा के द्वारा पूर्व में कोई पाठ्यक्रम को छोड़ने के उपरान्त प्रवेश लिया गया है। तो वह वर्तमान सत्र में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा। वह वर्तमान पाठ्यक्रम के अगले सत्र में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र माना जायेगा। सम्बन्धित छात्रों को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।
3. नवीन श्रेणी के छात्र-छात्रायें छात्रवृत्ति आवेदन को अंतिम स्तर पर जमा करने से पूर्ण यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन में जो सूचना प्रविष्ट की गई है वह पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। जैसे :- गत वर्ष का प्राप्तांक/पूर्णक, वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, बैंक खाता संख्या, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक इत्यादि।
4. नवीन श्रेणी के छात्र-छात्रायें को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति आवेदन के समय छात्र-छात्राओं के द्वारा लगाया जाने वाला आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक वैध ही रहेगा। उसकी तिथि निकलने पर भी अन्य प्रमाण पत्र न लगाया जाये। यदि किसी भी छात्र-छात्रा के द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र को बदल देता है। तो उसका छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त माना जायेगा। एवं पात्र छात्र-छात्रा का आय प्रमाण पत्र केवल अभिभावक का ही मान्य होगा। अन्य पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. वर्ष 2022-23 में नवीन श्रेणी के छात्रों को आधार नम्बर भरना अनिवार्य होगा। तथा छात्र-छात्राओं को अपना आधार कार्ड न0 को सम्बन्धित बैंक खाता से लिंक कराना अनिवार्य है।
6. संस्थान में अध्ययनरत अभ्यर्थी को समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्तिम तिथि के पश्चात् भरे जाने वाले ऑनलाइन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, अभ्यर्थी की संतोष जनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर करती है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा समाज कल्याण विभाग को सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोष जनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे- हडताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि में दोषी पाया जाता है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है या तो रोक सकता है। या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिये आगे का भुगतान रोक सकता है।
8. छात्रों की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है जिन छात्र-छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम पायी जाती है उन छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति फार्म को संस्थान से अग्रेसित नहीं किया जायेगा। जिसके लिए छात्र-छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रतिलिपि :-

1. मा0 निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. छात्रवृत्ति जाँच कमेटी के सदस्यों को इस आशय से की समस्त अभिलेखों को जाँचोपरान्त फार्म अग्रेसरित करने का कष्ट करें।
5. वेबसाइट प्रभारी को पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. समस्त सूचना पट्ट/समस्त छात्रावास सूचना पट्ट।
7. विभागीय पत्रावली।


(सन्तोष कुमार)

छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ

राजकीय इंजी० कालेज बिजनौर

(सन्तोष कुमार)



पत्रांक सं०: रा०इ०का० / छ०प्र० / छा०सू० / 2022-23 / 32-1

दिनांक: 05 / 12 / 2022

—:: अतिमहत्वपूर्ण सूचना ::—

सत्र 2022-23 हेतु संस्थान में नव प्रवेशित बी०टेक प्रथम व द्वितीय, (लेटरल इन्ट्री) के छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म ऑन लाइन के माध्यम से भरा जाना है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट लेकर सभी संलग्नकों सहित हार्ड कापी के साथ साफ्ट कापी (अधिकतम 2 एम० बी०) जमा किया जाना अनिवार्य है। जिसके लिए आप को समयानुसार ई मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन के साथ निम्न लिखित संलग्नकों का विवरण निम्नवत् है।

संलग्नक :

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट की कापी।
2. हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मार्कशीट व पास सर्टिफिकेट की फोटो कापी।
3. गत वर्ष के परीक्षा परिणाम की छाया प्रति।
4. प्रवेश एलॉटमेन्ट लेटर व स्कोर कार्ड (JEE/UPTAC में प्राप्त अंक) की छाया प्रति।
5. आय प्रमाण-पत्र (माता-पिता/अभिभावक के नाम) तथा इन्टरनेट की सत्यापन प्रति के साथ।
(छात्र-छात्रा के नाम का आय प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।)
6. जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी इन्टरनेट की सत्यापन प्रति के साथ (सामान्य वर्ग को छोड़कर)।
7. निवास प्रमाण-पत्र की फोटो कापी। (उ०प्र० राज्य का स्थाई निवासी हो)
8. संस्थान में जमा किये गये शुल्क की रसीद (रसीद संख्या सहीत) की फोटो कापी। (यदि आवेदन में विवरण दिया हो)
9. यदि छात्र हास्टल में आवासित है, तो हास्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की सत्यापित प्रति।
10. बैंक पास बुक की छाया प्रति (जिसमें छात्र/छात्रा के नाम व खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो)
संस्था में संचालित बैंक का हो एवं सभी छात्रों का आधार बैंक से लिंक होना अनिवार्य है।
11. छात्र एवं उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा ₹० 10/- के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त स्रोतों से सही है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है, नोटरी कराकर संलग्न करें।
12. शिक्षा में अन्तराल होने की दशा में ₹० 10/- के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र नोटरी कराकर संलग्न करें।
13. छात्र - छात्रा एवं उनके माता - पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति।
14. शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन में केवल अनिवार्य नॉन रिफेन्डेबिल शुल्क भरा जाना अनिवार्य है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाने वाला नॉन रिफेन्डेबुल शुल्क	
1 st Year	2 nd Year (Lateral Entry)
₹ 55,045/-	₹ 55,045/-

नोट :-

1. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फार्म को अन्तिम स्तर पर जमा करने से पूर्व छात्र-छात्राएं यह सुनिश्चित कर ले कि आप के द्वारा प्रविष्ट सूचना सही होनी चाहिए। सही से जांच कराने के बाद ही अन्तिम स्तर पर जमा करने के उपरान्त प्रिन्ट लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में छात्र-छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. छात्र-छात्राओं को अपने माता-पिता, जिनका आय प्रमाण संलग्न है, का पेन कार्ड लगाना अनिवार्य है।
3. समस्त छात्र-छात्राये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म के साथ दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रति ही संलग्न करें।
4. उपरोक्त सूचना से इतर यदि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की अन्य सूचना की मांग की जाती है। तो सूचना अंकित करना अनिवार्य है।

(संतोष कुमार)

छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ

राजकीय इंजी० कालेज बिजनौर